न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 5213 / 2004 / बाँसवाड़ा

1— श्रीमती सलमा बेवा इस्तेखार अली सैय्यद मुसलमान नि0 बांसवाड़ा
2— अहसान अली पुत्र स्व0 इस्तेखार अली सैय्यद मुसलमान नि0 बांसवाड़ा।
3— लियाकत अली पुत्र मुमताज अली सैय्यद मुसलमान निवासी परतापुर तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
4— फैय्याज अली पुत्र स्व0 मुमताज अली सैय्यद मुसलमान निवासी हुसैनी चौक बांसवाड़ा।
5— मेहबूब अली पुत्र स्व0 मुमताज अली सैय्यद मुसलमान निवासी हुसैनी चौक, काली कल्याण धाम के पास, बांसवाड़ा।
6— श्रीमती नाहेंदाबी पत्नी स्व0 सईद अली सैय्यद मुसलमान निवासी गौरख इमली, बांसवाड़ा
7— जमीर अली पुत्र स्व0 सईद अली सैय्यद मुसलमान निवासी गोरख ईमली बांसवाड़ा।
8— इमरान अली पुत्र स्व0 सईद अली सैय्यद मुसलमान निवासी गोरख ईमली बांसवाड़ा नाबालिग जरिये वलिया व माता श्रीमती नाहेंदाबी बेवा सईद अली
9— रिजवान अली पुत्र स्व0 सईद अली सैय्यद मुसलमान निवासी गोरखइमली बांसवाड़ा नाबालिग जरिये वलिया व माता श्रीमती नाहेंदाबी बेवा सईद अली
10— मुबारक अली पुत्र स्व0 मुमताज अली सैय्यद मुसलमान निवासी गोरखइमली बांसवाड़ा।
11— श्रीमती रशीदाबी बेवा मुमताज अली मुसलमान निवासी गोरखइमली, बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा।
2— सरकार जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा।
3— जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः
श्री एस.के. शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री रामसुख चौधरीा उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

————

निर्णय

दिनांकः अक्टूबर, 2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 211 / 2003 में पारित निर्णय दिनांक 20–8–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी सैयद मुमताज अली पुत्र ईमदाद अली ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विवादित आराजी बाबत् पेश कर कथन किया वादी विवादित आराजी का एक मात्र खातेदार कृषक होकर काबिज है। उक्त भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार रिटायर्ड प्लाटून कमान्डर होने के कारण उसे आवंटित की गई है। वादी की आराजी खसरा नंबर 372 / 229 रकबा 12 बीघा में से 4 बीघा भूमि बिना किसी स्वीकृति एवं बिना वैध हस्तांतरण के गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी नंबर–2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम जरिये नामांतरकरण सं0 37 दिनांक 26–4–75 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। प्रतिवादी सं0 1 सार्वनिक निर्माण विभाग तथा प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार, बांसवाड़ा आपस में मिलकर वादी के खाते की उक्त 4 बीघा भूमि बिना कोई मुआवजा या क्षति पूर्ति किये, उसकी भूमि कम कर दी गई हैं। इस बाबत प्रतिवादी को नोटिस दिया गया किन्तु कोई राहत नहीं मिलने पर वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–4–2021 द्वारा परीक्षण न्यायालय ने वाद वादी ठोस एवं प्रमाणित आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी / वादी सैयद मुमताज अली ने प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बासवाड़ा के समक्ष पेश की। प्रथम अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थी सैयद अली का देहान्त हो गया तथा अपीलार्थी सैयद अली के वारिसान ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27–6–2003 को वास्ते कायम मुकामान को प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु इस आशय का पेश किया कि सैयद मुमताज अली का देहान्त दिनांक 27–6–2002 को हो गया है जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के लिए लिपिक सिंघानिया को आवेदनपत्र सुपुर्द किया परन्तु उनके द्वारा आवेदन पत्र को पत्रावली में सम्मिलित नहीं किया गया, इसका पता चलने पर पुनः यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसमें जानबूझकर विलंब नहीं हुआ है। अतः उक्त वारिसान को अपीलांट्स की श्रेणी में लिया जाकर कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित करें। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20–8–2004 द्वारा अपीलांट्स के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी को अपीलार्थी के कायम मुकामान को समय पर प्रतिस्थापित न कराने के कारण अपील अबेट होने से खारिज कर दी। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीगण के पिता एवं पति का स्वर्गवास दिनांक 27–6–2002 को हो गया था जिसके पश्चात् अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिपिक श्री सिंघानिया को कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिया था। परन्तु पीठासीन अधिकारी के तबादला होने से 5–6 महीने तक कोई कार्यवाही

नहीं हो पाई तथा तारीख तब्दील की जाती रही। नये पीठासीन अधिकारी के आने के बाद जांच करने पर यह पाया गया कि कायम मुकामान का प्रार्थनापत्र रेकार्ड पर नहीं था जिस पर पुनः नया प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र दिनांक 21—5—2003 को प्रस्तुत किया गया जिसमें पूर्व प्रार्थना पत्र का हवाला भी दिया गया, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को दरकिनार कर नरम रूख अपनाये बिना, न्याय की मंशा को ध्यान में नहीं रखकर तकनीकी आधार पर मियाद के बिन्दु पर ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया? जो विधि के विपरीत है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष मियाद अधिनयिम की धारा 5 का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अखण्डित होने से और उसमें वर्णित आधारों को मध्य नजर रखते हुए उनके कथनों पर विश्वास करते हुए तथा परिस्थितियों को देखकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने का आदेश देना चाहिए था ताकि न्यायहित में वाद बाहुल्यता न बढ़े, इसे देखते हुए गुणावगुण पर अपील का निस्तारण हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया है उन्होंने इस बात को भी नजरदांज किया कि अबेटमेंट के आदेश से अपीलार्थीगण को असहनीय व अपार क्षति होगी जो उनके नियंत्रण के बाहर है क्योंकि उन्होंने अपने अधिवक्ता को समय पर सूचना दे दी थी जैसा कि उन्होंने वर्तमान प्रार्थना पत्र में भी अंकन किया है और सशपथ प्रार्थना पत्र में भी विलम्ब क्षम्य करने हेतु निवेदन किया है जिससे न्यायालय की गलती से या अधिवक्ता की गलती से अपीलार्थी को क्षति नहीं पंहुचाई जा सकती हैं किन्तु विधि के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20—8—2004 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण का कायम मुकामान का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जावे।

4— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपीलार्थी के वारिसान को प्रकरण में कायम मुकान का प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, वह अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया गया है जबकि उन्हें समय पर ही प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। प्रार्थना पत्र 12 माह की अवधि के बाद प्रस्तुत किया है जो नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के कायम मुकामान को समय पर प्रतिस्थपित न कराने के कारण अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज किया है, जो कि एक विधिक आदेश है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5— हमनें उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6— प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा वाद सेयद मुमताज अली बनाम अधीक्षण अभियंता व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री 25—4—2001 के विरूद्ध न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील सैयद मुमताज अली अपीलार्थी ने पेश की है।

7— प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट सैयद मुमताज अली का निधन हो गया था, जिस दिनांक को उसकी मृत्यु हुई उससे 12 माह बाद उनके वारिसान द्वारा कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थनापत्र इसलिए आलोच्य आदेश से खारिज किया है क्योंकि 12 माह की अवधि के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के अन्दर प्रार्थनापत्र पेश किया जाना चाहिए, अन्यथा वाद स्वतः ही अबेट हो जाता है। इसके बाद 60 दिवस की अवधि में अबेट को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। परन्तु इस प्रकरण में न तो अबेटमेंट को सेट—असाइड करने का प्रार्थना पेश किया गया न ही प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इन कारणों को उल्लेखित करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वारिसान को समय पर प्रतिस्थापित न करने के कारण अपील अबेट हो जाने से खारिज की है।

8— हमारे विनम्र मत में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचना करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। चूंकि प्रथम अपीलीय न्याायालय के समक्ष अपीलार्थी एवं राज्य सरकार के विभाग एवं राज्य सरकार के मध्य अपील विचाराधीन थी जिसमें अपीलार्थी के वारिसान को ही अपीलार्थी सैयद मुमताज अली की मृत्यु की जानकारी देते हुए वारिसान का प्रार्थना पत्र पेश करना था। लेकिन हाल अपीलार्थीगण ने किन कारणों से प्रार्थनापत्र देर से पेश किया है इसका कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है तथा न ही उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि पूर्व में न्यायालय के किसी लिपिक को वे वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दे गये जिन्होंने सहवन से उसे फाईल के साथ संलग्न नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वारिसान को रिकार्ड पर लेने के संबंध में कानून की पूर्ण व्याख्या करते हुए उनके प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपील अबेट होने के कारण खारिज की है, जिसमें हम द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं पाते है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—8—2004 बहाल रखा जाता है।

10— निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कर अभिलेखागार में भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य